



# उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 300-पारे०अनु०-16ए/2018

दिनांक: 15 मार्च, 2018

## कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं० 2362-अ०प्र०-07, दिनांक 23.08.2017 एवं तदविषयक शुद्धि-पत्र सं०-5567-अ०प्र०-07/पाकालि/17, दिनांक 12.01.2018, कार्यालय ज्ञाप संख्या-701-अ०प्र०-07, दिनांक 26.02.2018 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-702-अ०प्र०-07, दिनांक 26.02.2018 द्वारा अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत एवं उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० को आवंटित निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं (वै० एवं याँ०) को स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती से स्थानान्तरित कर, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्तम्भ-4 में उल्लिखित क्षेत्र/इकाई को अग्रेतर तैनाती हेतु एतद्वारा आवंटित किया जाता है:-

क्र०सं०	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम वर्ग/ट्रेड/जन्मतिथि/गृह जनपद/ वरिष्ठता क्रमांक सर्वश्री/सुश्री	अभिज्ञान सं०	तैनाती का वर्तमान कार्यालय	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त आवंटन का क्षेत्र/इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	धर्मराज/रामेश्वर/अनु०जाति/ 15.11.1963/फैजाबाद/8217925042	2017116	विद्युत वितरण मण्डल, सुल्तानपुर।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण (मध्य), लखनऊ।
2.	अशोक कुमार/हरिओम सिंह/ अनु०जा०/वि०/15.10.1980/आगरा /8832	2017439	विद्युत पारेषण मण्डल, आगरा।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण दक्षिण-पश्चिम, आगरा।
3.	धर्मन्द्र/पीताम्बर सिंह/अनु० जाति/ वि०/15.09.1978/बुलंदशहर/9615	2017444	विद्युत वितरण खण्ड, हापुड।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण (पश्चिम), मेरठ।
4.	पंकज कुमार श्रीवास्तव/ राम कृपाल लाल/सामान्य/वि०/27.08.1980/ गोरखपुर/9676	2017447	प्रवर्तन दल- लखनऊ, जोन।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण (मध्य), लखनऊ।
5.	शुभ्रा शुक्ला/शरद प्रकाश शुक्ला/ सामान्य/कम्प्यूटर/13.07.1984/ कानपुर/9730	2017456	एस०एल०डी०सी०, लखनऊ।	एस०एल०डी०सी०, लखनऊ।
6.	श्री निवास महाकुड/ईश्वर चन्द्र महाकुड /पिछड़ी जाति/वि०/15.02.1981/ बालासोर/9748	2017470	विद्युत पारेषण खण्ड, झाँसी।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण दक्षिण-मध्य, झाँसी।
7.	संजय कुमार मीना/कबूल सिंह/ अनु०जनजाति/वि०/30.06.1983 /मेरठ/9776	2017489	विद्युत नगरीय उपखण्ड-प्रथम, नोएडा।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण (पश्चिम), मेरठ।

क्रमशः ....2

8.	अवनीश कुमार/राम बहाल विश्वकर्मा/ पिछड़ी जाति/वि०/23.02.1980/ वाराणसी/9797	2017506	विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, गोरखपुर।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण (उत्तर-पूर्व, गोरखपुर)।
9.	दया शंकर यादव/सर्वजीत यादव/ पिछड़ी जाति/वि०/01.06.1978/ बलिया/9810	2017512	विद्युत पारेषण खण्ड, मिर्जापुर।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण दक्षिण-पूर्व, इलाहाबाद।
10.	सुखबीर सिंह/यादराम सिंह/अनु०जाति /वि०/10.04.1978/अलीगढ़/9982	2017523	विद्युत वितरण मण्डल, मथुरा।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण दक्षिण-पश्चिम, आगरा।
11.	रमेश कुमार/जवाहर लाल/अनु०जाति /वि०/03.03.1979/जौनपुर/10050	2017527	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, ऐशबाग लेसा लखनऊ।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण (मध्य), लखनऊ।
12.	अंकुर कुमार/अमर नाथ/पिछड़ी जाति /वि०/12.05.1983/सहारनपुर/10116	2017535	विद्युत वितरण मण्डल, बागपत।	मुख्य अभियन्ता, पारेषण (पश्चिम), मेरठ।

उक्त प्रोन्नतियाँ मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं०-60876/2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।”

- सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :-
  - अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अप्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
  - अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
  - अवर अभियन्ता के विरुद्ध विविध प्रकीर्ण घनराशि/प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
- अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती आदेश वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुसार ही जारी किये जायें।
- उक्त प्रोन्नत अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले उक्त अवर अभियन्ता के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
- सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं०-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
- उपरोक्त प्रोन्नतियाँ इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही हैं कि वे पूर्व परिषदादेश संख्या-485-ए-आर०/राविप-०१-२८-एआर/८९, दिनांक 27.03.1989 के संदर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
- प्रोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
- सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(०६)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।


निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

क्रमशः .....3

संख्या- 300 (i)/पारे0अनु0-18ए/पाट्राकालि-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0।
6. संयुक्त सचिव (अ0प्र0-02), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध), निदेशक (आपरेशन) शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता।
10. वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा सें,  
  
 (P. K. Shrivastava)  
 उप सचिव, पारेषण